

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/1174A

दिनांक :- 04-12-2017

आदेश सं. - 245/2017-18

श्री जयप्रकाश सैनी (मेरिट सं. 262/2013) कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को विभागीय आदेश संख्या 237/2017-18 दिनांक 30.11.2017 के अनुसार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), कोटा में दिनांक 04.12.2017 से 25.01.2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 04.12.2017 को प्रातः 9.30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया गया था।

श्री जयप्रकाश सैनी द्वारा निजी कारण से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें मुक्त रखने व आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया है। अतः श्री जयप्रकाश सैनी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध पर उन्हें उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आगे आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

  
(प्रदीप माथुर)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/1174A

दिनांक :- 04-12-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ.6(1)(5)टीएन्डपी:-I/रीपा/2016-17/12964-67 दिनांक 30.10.2017 के क्रम में।
3. अतिरिक्त निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), सिविल लाईन्स, कोटा।
4. कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।
5. श्री जयप्रकाश सैनी कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)